

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/आई-1-01/2017

पटना, दिनांक- / / 2025

इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में कॉलम-4 में अंकित आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त निम्नांकित चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।-

क्र०सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम	मूल पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	आदेश
1	2	3	4
1	डा० अमिताभ वर्मा, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक सम्प्रति सह-प्राध्यापक	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना।	स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना के आदेश सं०-332(17) दिनांक-19.06.2017 (सप्ताह में तीन दिन)
2	डा० पंकज, निश्चेतक	अनुमडलीय अस्पताल, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण।	सचिव, स्वास्थ्य विभाग-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के ज्ञापांक-688(17) दिनांक-16.05.2017
3	डा० अमरनाथ केसरी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० केन्द्र, पकडी पुनपुन।	सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पटना के पत्रांक-1433 दिनांक- 03.10.2024

2. सभी संबंधित चिकित्सक अपने मूल पदस्थापन संस्थान में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

3. निदेशक, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में बिना विभागीय आदेश/अनुमति के किसी भी कर्मी/चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/आई-1-01/2017- 904(17) पटना, दिनांक :-12/08/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03, 09, 16 एवं 18ए को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।